न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2018

अपीलांट

दिलीप बाफना पुत्र श्री लालचंदजी, जाति जैन बाफना, उम्र 64 वर्ष, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, पाली
3. नगरपालिका सादडी जरिये अध्यक्ष तहसील देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से
3. श्री इन्द्रसिंह विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03

–: निर्णय :–

दिनांक 26.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 3/2013 बउनवान दिलीप बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 एवं डिक्री दिनांक 18.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3370/6659 रकबा 0.09 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 3370/6658 रकबा 0.20 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। सादडी चक–प्रथम के जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में गत खसरा नंबर 687/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रकबा 15 बीघा अपीलांट के पिता लालचंदजी के खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेंट विभाग द्वारा पर्चा लगान नंबर 653 खाता नंबर 655 अपीलांट के पिता लालचंद वल्द सागरमल, कौम महाजन, साकिन देह खातेदार के नाम से खसरा नंबर 3368, 3369, 3370 रकबा क्रमशः 1.25, 0.15, 0.91 कुल रकबा 2.31 हैक्टर खातेदारी का जारी किया गया, इस प्रकार खसरा नंबर 3370 रकबा 0.91 हैक्टर अपीलांट के पिता लालचंदजी की खातेदारी में दर्ज थी, लेकिन उसके बाद जमाबंदी संवत 2041 से 2060 में जमाबंदी में खसरा नंबर 3370 रकबा 0.62 हैक्टर ही खातेदारी दर्ज की गई। शेष रकबा रास्ता व मकान सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेंट विभाग को प्रविष्टियो को दोहराना चाहिये था, किन्तु सेटलमेंट कर्मचारियो ने अपने अधिकार से परे जाकर अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि कम कर सिवाय चक दर्ज कर दी। अधीनस्थ न्याायलय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तनकीयात कायम किये कैम्प कोर्ट सादडी में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3370/6659 रकबा 0.09 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 3370/6658 रकबा 0.20 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन मकानात एवं गैर मुमकिन रास्ता है। एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानो के तहत उक्त किस्म की आराजी के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3370/6659 रकबा 0.09 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 3370/6658 रकबा 0.20 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन मकानात एवं गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। जिससे अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पोषणीय ही नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 3/2013 बउनवान दिलीप बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 एवं डिक्री दिनांक 18.12.2007 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली